दिनांक: 31.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़, गौकशी के मुकदमें में वांछित 01 शातिर गौकश अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती,अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।**

इसी क्रम में आज दिनांक 30.07.2026 की रात्रि उ0नि0 विजय कुमार व उ0नि0 अनुज कुमार मय हमराह फोर्स के ग्राम मुबारकपुर रेलवे अन्डर पास से पहले संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। चैकिंग के दौरान 01 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी दिखाकर उसे रूकने का इशारा किया गया जो नही रूका और बाइक सवार व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर रेलवे अन्डर पास की ओर तेजी से भागने लगा, इस पर पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो आगे कच्चा रास्ता/ईख का खेत होने के कारण मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। बदमाश मोटरसाइकिल वही छोड़कर पास में ही ईख के खेत में घुस गया और पुलिस टीम से अपने आप को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर मे गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश की पहचान **अलीशान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त **थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत 1. मु0अ0सं0 375/2026, धारा – 109(1) / 351(3) / 352 / 318(4) / 351(3)/317(5)/336(3) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट एवं 3/5/8 सीएस एक्ट व 2. मु0अ0सं0 370/2026 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट** में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पर गोकशी, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट आदि के मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवली देहात पर मु0अ0सं0 378/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार /घायल अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अलीशान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

- 01 तमंचा .315 बोर
- 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 01/2021 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

2- मु0अ0सं0 370/2026 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

3- मु0अ0सं0 375/2026, धारा – 109(1) / 351(3) / 352 / 318(4) / 351(3) / 317(5) / 336(3) बीएनएस, 3/25/27 आर्म्स एक्ट एवं 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुर्रता अधिनिमय थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

4- मु0अ0सं0 378/2026, धारा – 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

2- उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

3- उ०नि० श्री विजय सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

4- है0का0 1296 अकुरर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

5- है०का0 870 रोबिन ढाका थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

6- है0का0 1272 इऱफान थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

7- का0 2098 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

8- का0 1718 अंकित धामा थाना कोतवली देहात जनपद सहारनपुर

दिनांकः 31-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़, एक शातिर गौकश अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 छूरी, एक गौवश कटा हुआ एवं 01 मोटरसाइकिल बरामद।

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।***

*इसी क्रम में आज दिनांक 31.07.2026 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर मय पुलिस टीम इब्राहिमपुर हिण्डन नदी के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग कर रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम इब्राहिमपुर में नदी के पास कुछ व्यक्तियों के द्वारा गौकशी की जा रही है। इस सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर मय हमराही पुलिस बल के मुखविर के बताये गए स्थान/जंगल के नजदीक पहुंचे तो झाड़ियों की आड़ मे खट-खट की आवाज आ रही थी, आड़ का सहारा लेकर नजदीक पहुंचे तो तीन व्यक्ति गोकशी कर रहे है, पुलिस पार्टी द्वारा तत्काल ललकारते हुए टोका गया तो गौकशों की तरफ से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियति से फायरिंग कर दी । पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर मे गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया, अन्य दो साथी अँधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिनकी तलाश हेतु पुलिस द्वारा लगातार काबिंग की जा रही है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान **रफी उर्फ राफा पुत्र सलामू निवासी ग्राम चोबारा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** के रुप में हुई । घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी फतेहपुर मे भर्ती कराया गया । जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद अभियुक्त को जिला अस्पताल रेफर किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 छूरी, एक कटा हुआ गौवश एवं 01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरमादगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर 298/26 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 109(1) बीएनएस व 3/4/25/27 शस्त्र अधिनियम के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।*

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पताः-

रफी उर्फ राफा पुत्र सलामू निवासी ग्राम चोबारा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- *01 स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट रंग काला)*
- *01 अवैध तमंचा 315 बोर,*
- *01 जिन्दा कारतूस 315 बोर*
- *01 खोखा कारतूस 315 बोर*
- *01 अदद छुरी*

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 298/26 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 109(1) बीएनएस व 3/4/25/27 ए एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. है0का0 1336 प्रशान्त कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. है0का0 231 रोहित चौधरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
7. है0का0 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
8. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
9. रि0का0 798 जतिन कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
10. रि0का0 794 सनी देवल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 31.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनांक 24.07.2026 वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मौ0 जैद अली पुत्र परवेज आलम निवासी नई बस्ती इस्लामाबाद गली न0- 01 खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर हाल पता पुराना कलसिया रोड नईम कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 381/2026 धारा 69/115(2)/352/351(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया । विवेचना व पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।*

पुलिस कार्यवाहीः- *अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमे में* ***वांछित अभियुक्त मौ0 जैद अली पुत्र परवेज आलम निवासी नई बस्ती इस्लामाबाद गली न0- 01 खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर हाल पता पुराना कलसिया रोड नईम कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर*** *को चिलकाना अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. *मौ0 जैद अली पुत्र परवेज आलम निवासी नई बस्ती इस्लामाबाद गली न0- 01 खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर हाल पता पुराना कलसिया रोड नईम कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 अय्यूब अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 30.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.07.2026 को थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान वांछित वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के दौरान ***01 वारंटी अभियुक्त राजेश पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम करौदी थाना बेहट जिला सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0 2701/26 व मु0अ0सं0 36/2003 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम चालानी थाना बेहट में ग्राम करौंदी से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. राजेश पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम करौदी थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री बच्चू सिंह थाना बेहट, सहारनपुर
2. है0का0 631 विकास कुमार थाना बेहट, सहारनपुर

दिनांकः 31.07.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 213 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर (जिसकी अनुमानित कीमत 42 लाख 60 हजार रूपये) व एक मोटरसाइकिल बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा””** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त तारीफ पुत्र सलीम निवासी ग्राम असगरपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को गांगरो नहर पुल से गन्देवड की ओर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 213 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर व एक मोटरसाइकिल रजि0नं0 UP11CK4527 बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 316/2026 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

तारीफ पुत्र सलीम निवासी ग्राम असगरपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *213 ग्राम अवैध स्मैक*
- *घटना में प्रयुक्त मो0सा0 रजि0नं0 UP11CK4527*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 902 गोविन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 357 अनुज कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 1354 अभिषेक कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक: 31.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत कांवड़ मार्ग पर 01 अभियुक्त को शान्ति व्यवस्था भंग में गिरफ्तार किया गया, 03 अदद ट्रक, 01 मोटरसाइकिल व 01 कार सीज की कार्यवाही की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में कानून एवं यातायात व्यवस्था व श्रावण कांवड़ यात्रा-2026 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चैकिंग अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 31.07.2026 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत ***अभियुक्त अनुराग जिंदल पुत्र सुभाष चंद निवासी हथौली,साढौल कुदीम थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर*** *को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया एवं 05 अदद वाहन (जिसमे 03 अदद ट्रक व 01 मोटर साईकिल व 01 कार) को कब्जे में लेकर वाहनों के विरुद्ध धारा 207 MV ACT के अन्तर्गत (सीज) की कार्यावाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अनुराग जिंदल पुत्र सुभाष चंद निवासी हथौली,साढौल कुदीम थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

सीज किये गये वाहनो का विवरण.

1. ट्रक न0 HR38AF3391
2. ट्रक न0 HR67B5768
3. ट्रक न0 UP13CT 7953
4. कार न0- UP11CR4909
5. मोटर साईकिल न0- UP11DB8536

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 31-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 98000/- रूपये की शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः- अवगत कराना है कि दिनांक 28.12.2025 को शिकायतकर्ता रणजीत सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह नि0 खैरसाल थाना गंगोह स0पुर द्वारा आनलाइन फ्राड के माध्यम से कुल 98000/- रूपये की धनराशि ठग लेने के सम्बन्ध में साईबर हैल्पलाईन वैबसाईट पर शिकायत सं0 33112250193373 दर्ज करायी गयी थी।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतू जन-मानस को जागरुक करने व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/साइबर नोडल अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह साइबर हेल्प डेस्क पुलिस टीम द्वारा **पीडित श्री रणजीत सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह नि0 खैरसाल थाना गंगोह स0पुर** की साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी 98000/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि को पीडित के खाते में वापस कराया गया । पीडित द्वारा शतप्रतिशत धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना गंगोह साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार व्यक्त किया गया ।

पीडित का नाम व पताः-

रणजीत सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

धनराशि वापस कराने वाली साईबर टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इंद्रेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री दिनेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कम्पयूटर आपरेटर नमन शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. का0 2406 मोहित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 31.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

आगामी पवित्र कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुगम बनाने तथा कानून-व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आज दिनांक 31.07.2026 को पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह के कर कमलों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिनंदन सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन्स सहारनपुर में 'एकीकृत नियंत्रण कक्ष'' का उद्घाटन किया गया।

एकीकृत नियंत्रण कक्ष की प्रमुख विशेषताए:

- *सीसीटीवी कैमरों का एकीकृत नेटवर्कः शहर के प्रमुख चैराहो, भीड़भाड़ वाले बाजारों और संवेदनशील इलाकों में स्थापित 350 अत्याधुनिक आईपी-आधारित नाइट विजन सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरों को इस कट्रोंल रूम से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त 650 कैमरों से थाने स्तर से भी अपने अपने क्षेत्र की निगरानी रखी जा रही ।*
- *24/7 निरंतर निगरानीः जनपद के समस्त विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा शहर भर में स्थापित हाई-टेक सीसीटीवी (ब्ब्ज्ट) कैमरों को एक ही स्थान से चैबीसों घंटे मॉनिटर किया जाएगा।*
- *त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली: डायल-112, ट्रैफिक कंट्रोल और स्थानीय पुलिस थानों के समन्वय को एकीकृत किया गया है, जिससे किसी भी सूचना पर पुलिस बल घटना स्थल पर कम से कम समय में पहुंचेगा।*
- *आधुनिक तकनीक एवं सर्वर रूमः अत्याधुनिक डिस्प्ले वॉल, जीपीएस ट्रैकिंग और हाई-स्पीड डेटा नेटवर्किंग से लैस यह कंट्रोल रूम संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है।*
- *यातायात एवं भीड़ प्रबंधनः त्यौहारों, वीआईपी मूवमेंट और बड़ी सभाओं के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कंट्रोल रूम से सीधा समन्वय स्थापित किया जाएगा।*

दिनांकः 31.07.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मुठभेड़ के मुकदमें में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *अवगत कराना है कि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर पर दिनांक 27.03.2026 को चैकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, जवाबी कार्यवाही में उ0नि0 श्री सौरभ यादव मय पुलिस बल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त मुर्सलीन उर्फ गांधी पुत्र युसूफ निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया था। तथा घटना में प्रयुक्त अस्लाह व कारतूस बरामद किये गये थे। उक्त घटना के संबंध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 91/2026 धारा 109(1),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा पारित आदेश से विवेचना थाना सरसावा से थाना नकुड स्थानांनतरित की गई थी।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान पुलिस मुठभेड़ के मुकदमें में* ***वांछित अभियुक्त विनोद पुत्र फूल सिंह निवासी नानू माजरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हाल पता- ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*** *को कुम्हारहेडा पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है । जिसके विरुद्ध थाना सरसावा व थाना बेहट में कई अभियोग पंजीकृत हैं । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विनोद पुत्र फूल सिंह निवासी नानू माजरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 261/2018 धारा 384/419/420भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 453/17 धारा 307/399/402 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 459/17 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 460/17 धारा 411/414/420/482 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0 415/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
6. *मु0अ0सं0 91/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना नकुड,स0पुर
2. उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना नकुड,स0पुर
3. है0का0 1014 नाहर सिंह थाना नकुड,स0पुर
4. का0 1059 अनुज राणा थाना नकुड,स0पुर

दिनांक: 31.07.2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाला 01 शातिर अभियुक्त अवैध चाकू सहित गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी एवं अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त शाहरूख पुत्र रफीक निवासी हबीबगढ़ लडकियो के मदरसे के सामने थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर*** *को* ***मानकमऊ से दबनी कब्रिस्तान की ओर*** *से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-348/26 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

शाहरूख पुत्र रफीक निवासी हबीबगढ़ लडकियो के मदरसे के सामने थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- *01 अवैध चाकू*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-</u>

1. *उ0नि0 श्री अजय पाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0 1081 रूपेन्द्र सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

दिनांक- 31.07.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 480 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले ***02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्तगण 1. आहद पुत्र शहनवाज उर्फ सिकंदर निवासी ढोली खाल निकट ऊँची मस्जिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व 2. दानिश पुत्र फिरोज कुरैशी निवासी बेहट मौहल्ला कस्साबान थाना बेहट जिला सहारनपुर*** *को ग्राम भाऊपुर के निकट निर्माणधीन बायपास से गिरफ्तार किया गया।* ***अभियुक्त आहद के कब्जे से 240 ग्राम चरस व अभियुक्त दानिश के कब्जे से 240 ग्राम चरस*** *बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कुतुबशेर* ***पर मु0अ0सं0 346/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट*** *पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

1.आहद पुत्र शहनवाज उर्फ सिकंदर निवासी ढोली खाल निकट ऊँची मस्जिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

2. दानिश पुत्र फिरोज कुरैशी निवासी बेहट मौहल्ला कस्साबान थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

480 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार अभियुक्त दानिश का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 101/22 धारा 380,411,457 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर,

2. मु0अ0सं0- 124/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0सं0- 414/22 धारा 8/20 एनडीपीएस थानाबेहट जनपद सहारनपुर

4. मु0अ0सं0- 131/24 धारा 380,411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर

5. मु0अ0सं0- 60/25 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर

6. मु0अ0सं0- 361/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

7. मु0अ0सं0- 136/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

3. है0का0 1298 अरविन्द कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

4. का0 2043 सद्दाम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांक – 31.07.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 421.46 ग्राम अवैध चरस, बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों नशे के/ अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **– "ऑपरेशन सवेरा""नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिले देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त राजू पुत्र स्व ओमप्रकाश निवासी ग्राम जडौदा जट्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को ग्राम जडौदा जट्ट को जाने वाले अण्डर पास थाना क्षेत्र देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 421.46 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवबन्द पर **549/2026 धारा 8/20 NDPS ACT** में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजू पुत्र स्व ओमप्रकाश नि0 ग्राम जडौदा जट्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 421.46 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का० 608 मोजिन्द्र राणा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1147 रवि कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 31.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः दिनांक 22/06/2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण कमल पुत्र सादीराम 2. नरेशना पत्नि सादीराम 3. विवेक पुत्र सादीराम 4. राधा पुत्रा सादीराम निवासीगण ग्राम लखनौती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की बहन वर्षा को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए गला घोटकर हत्या कर देने की सूचना के संबंध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 457/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस ¾ डी0पी0एक्ट बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः- अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियुक्त की शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के अनुपालन में में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते **वांछित अभियुक्ता नरेशना पत्नि सादीराम निवासी ग्राम लखनौती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को ग्राम लखनौती से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1- नरेशना पत्नि सादीराम निवासी ग्राम लखनौती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री रवि वर्मा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2- है0का0 341 विपिन कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

3- रि0म0का0 751 काजल रानी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांक 31-07-2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या- 15 जनपद सहारनपुर द्वारा गैर इरादतन हत्या के मुकदमें में 05 अभियुक्तों को 10 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 02 लाख 75 हजार रूपये (प्रत्यके को 55,000-55000 हजार रूपये) के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 26.06.2024 को वादी तौसीफ पुत्र खर्शीद निवासी मौ0 हमीदा कालोनी यमुनानगर हरियाणा की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-सद्दाम पुत्र लोबान निवासी मौ0 ढोलीखाल थाना कु0 शेर हाल किरायेदार आलमगीर का किराये को मकान खाताखेडी गली न0.27 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 2- भानू उर्फ वाहिद पुत्र इरशाद उर्फ सादा उर्फ शहजाद निवासी जैन कालोना खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 3. अफजल पुत्र नाजिर निवासी सुहैला कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 4. नसीम पुत्र स्व0 इकीक निवासी 62 फुटा रोड पीपल वाली गली मस्जिद खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 5. अब्दुल रहमान पुत्र स्व0 रफीक निवासी खाताखेडी सराय थाना मण्डी जनपद सहारनपुर व 6. साकिब पुत्र इमरान निवासी जैन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भाई तौफीक को लात घूसो व ईंटो से मारपीट कर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0-248/2024 धारा- 304/147 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया । उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 1932/24 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 15 पो0 एक्ट जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 15 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 31.07.2026 को* ***05 अभियुक्तगण अभियुक्तगण 1-सद्दाम पुत्र लोबान निवासी मौ0 ढोलीखाल थाना कु0 शेर हाल किरायेदार आलमगीर का किराये को मकान खाताखेडी गली न0.27 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 2- भानू उर्फ वाहिद पुत्र इरशाद उर्फ सादा उर्फ शहजाद निवासी जैन कालोना खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 3. अफजल पुत्र नाजिर निवासी सुहैला कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 4. नसीम पुत्र स्व0 इकीक निवासी 62 फुटा रोड पीपल वाली गली मस्जिद खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 5. अब्दुल रहमान पुत्र स्व0 रफीक निवासी खाताखेडी सराय थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को मु0अ0सं0-248/2024 धारा- 304/147 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 02 लाख 75 हजार रूपये* ***(प्रत्येक को 55,000-55,000 हजार रूपये)*** *के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

नोट; अभियुक्त साकिब पुत्र इमरान निवासी जैन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर (दोषमुक्त)

शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) श्री संदीप कुमार ।
विवेचक - निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह
पैरोकार -म0है0का0 78 संगीता थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

दिनांक 31-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पेशल एन्टीकरप्शन कोर्ट (पीसी कोर्ट) जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमें में 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 17.06.2014 को वादी मुरसलीन पुत्र आबुल हसन निवासी माहेश्वरी कला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-भुट्टू पुत्र ताहिर निवासी माहेश्वरी कला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व 2- अमजद पुत्र तालिब निवासी उपरोक्त द्वारा वादी के पिता की गला धोटकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0-137/2014 धारा- 302/34 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 282/16 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एन्टीकरप्शन कोर्ट (पीसी कोर्ट) जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पेशल एन्टीकरप्शन कोर्ट (पीसी कोर्ट) जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 31.07.2026 को 02 अभियुक्तगण 1- भुट्टू पुत्र ताहिर निवासी माहेश्वरी कला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व 2- अमजद पुत्र तालिब निवासी उपरोक्त को मु0अ0सं0-137/2014 धारा- 302/34 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित*** *किया गया।*

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री विक्रम सिंह।
विवेचक- रिटार्यड क्षेत्रधिकारी श्री सुशील कुमार दूबे ।
पैरोकार- का0 253 मनोज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।